[illegible]

निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा।

सेवा में

1. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
2. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।

यादी क्रमांक:- 4/49-87 मै-शि-(5)
दिनांक, चण्डीगढ़: 27-9-88

विषय: 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना

== == ==

उपरोक्त विषय पर आपके पृ० क्रमांक 4167-मू/शै-2-87/11810 दिनांक 11-11-87, यादी क्रमांक शै-3/87-4393 दिनांक 30-9-87, 19-1-88, यादी क्रमांक सा-2-88/3257 दिनांक 1-2-88, यादी क्रमांक सा-2-88/3627 दिनांक 1[illegible]-3-88, 23-3-88 तथा यादी क्रमांक सा-4-88/700 दिनांक 29-3-88 के संदर्भ में।

निम्नलिखित अराजकीय मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों को सैशन 1988-89 से 10 जमा 2 की शिक्षा प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. शान्ती निकेतन हाई स्कूल एम.सी. कालोनी माडल टाउन, हिसार
2. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगाधरी (अम्बाला)
3. डी.आर.जैड आर्य स्कूल सोनीपत।
4. जनता हाई स्कूल मन्नौर (सोनीपत)
5. डी.ए.वी. हाई स्कूल हसनगढ़ (रोहतक)

i) यह स्वीकृति निम्न अंकित पर प्रदान की जाती है:-
सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार के अनुदान/वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नियमानुसार छात्रों को सभी सुविधायें अपने स्तर पर प्रदान करेंगे।

ii) कक्षा ग्यारहवीं-बारहवीं के लिए केवल उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाये जिन्होंने सम्बन्धित विषयों में एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम. की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

iii) सभी छात्रों के लिए [illegible] का उचित प्रबन्ध [illegible] जाये।

३: जिन विषयों/ग्रुपों में विज्ञान शिक्षा पढ़ाई जाये वहां पर प्रत्येक विषय के लिये [illegible] प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जाये।

४: भवन तथा अन्य भौतिक सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये।

५: जमा दो स्तर पर केवल वे ही विषय अथवा ग्रुप शुरू किये जायें जिनकी टीचिंग लर्निंग के लिए आवश्यक साधन सुविधायें विद्यालय में उपलब्ध हों।

सहायक निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा,
कृते: निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक:-समा-/दिनांक:- 27-5-88

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।-

1. मुख्याध्यापक, सभी सम्बन्धित विद्यालय
2. सचिव, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3. निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गांव
4. अधीक्षक विद्यालय-I तथा आंकड़ा शाखा (स्थानीय)

सहायक निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा,
कृते: निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

"[illegible]" 27/...